बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0– निग / सारा–(एन०एच०)–आरोप–71 / 2020– 15980 पटना, दिनांक 19/12/26

श्री नागेन्द्र भगत, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के उक्त पदस्थापन अवधि में एकरारनामा संख्या–50एफ2 / 2016–17 से 59एफ2 / 2016–17 तक के तहत कराये गये कार्य में संवेदक के द्वारा समर्पित बिटुमीन एवं इमल्शन के चालानों का सत्यापन कराये बिना ही मापी पुस्तिका में फर्जी चालानों के आधार पर अंकित विपत्र के विरूद्ध आंशिक भुगतान तीन लाख रुपये कर दिये जाने के आरोप के लिए आरोप–पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या–7208 (एस) दिनांक 30.12.2020 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इसके अतिरिक्त कालांतर में श्री भगत द्वारा अनुचित एवं अनाधिकृत रूप से प्रमंडल में कार्यरत सहायक अभियंता एवं कनीय अभिंयता के कार्यक्षेत्र का बार–बार बँटवारा किये जाने, स्थानांतरण के पूर्व सहायक अभियंता एवं पत्राचार लिपिक के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा किये जाने, अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रमंडलीय कार्यालय के निरीक्षण में कई त्रुटियों / कमियॉ पाये जाने आदि के लिए विभागीय संकल्प संख्या–1929 (एस) दिनांक 24.03.2021 के द्वारा अनुपूरक आरोप–पत्र के तहत कुल 03 आरोप गठित करते हुए पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही में सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार श्री भगत के विरूद्ध मूल आरोप पत्र के तहत एक आरोप एवं अनुपूरक आरोप पत्र के तहत 03 आरोप के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री भगत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप के बिन्दु निम्नलिखित है :–

(i) राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर के अन्तर्गत एन०एच०–80 के कि०मी० 136 से कि०मी० 158 में एकरारनामा संख्या–50एफ2 / 2016–17 से 59एफ2 / 2016–17 के अन्तर्गत आकस्मिक मरम्मति कार्य कराया गया। उक्त कराये गये आकस्मिक मरम्मति कार्य से संबंधित कुल 10 (दस) अदद् एफ2 Agreement के तहत प्रत्येक एकरारनामा के विरूद्ध विपत्रों की कुल राशि रुपये 78,05,154 / – की मापी पुस्त में प्रविष्ट किया गया है, जिसमें समेकित रूप से रुपये 3,00,000 / – का भुगतान किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, रा0उ0प0 भागलपुर के पत्रांक–201 दिनांक 06.02.2018 द्वारा संवेदक श्रीमती नेहा सिंह द्वारा समर्पित 20 अदद बिटुमेन एवं इमल्शन के चालान को सत्यापित करने हेतु IOCL को भेजा गया। IOCL द्वारा संवेदक श्रीमती नेहा सिंह के द्वारा समर्पित चालान का सत्यापन कर दिनांक 27.03.2018 को कार्यपालक अभियंता को प्रतिवेदन दिया गया, जिसके अनुसार 20 चालान में से 19 चालान को अवैध पाया गया। मात्र एक चालान DOC No-694411743 dt. 22.02.2017 में VG-30 बिटुमेन की मात्रा 13.416MT को वैध बताया गया।

पुनः कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक 1228 अनु० दिनांक. 25. 09.2019 द्वारा बिटुमेन एवं इमल्सन के क्रय से संबंधित श्रीमती नेहा सिंह को निर्गत आपूर्ति आदेश संख्या के विरूद्ध वास्तविक उठाव की सूचना उपलब्ध कराने हेतु IOCL/HPCl को पत्र लिखा गया। इस संदर्भ में IOCl के पत्रांक शून्य, दिनांक 14.10.2019 द्वारा कुल 18.720 MT. (13.416 + 5.304)MT. VG-30 बिटुमेन को सत्यापित किया गया। इस प्रकार IOCl के द्वारा कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर द्वारा निर्गत आपूर्ति आदेश संख्या क्रमशः 158 दिनांक 09.02.2017 के विरूद्ध 13.416 MT. VG-30 एवं आपूर्ति आदेश संख्या– 184 दिनांक 09.02.2017 के विरूद्ध 5.304 MT. VG-30 बिटुमेन के उठाव को सत्यापित किया गया है।

IOCl के पत्रांक– शून्य दिनांक 14.10.2019 द्वारा कुल 18.720 MT. (13.416 + 5.304) MT. VG-30 को ही सत्यापित किया गया है, जो एकरारनामा संख्या– 50F2 of 2016-17 एवं 55F of 2016-17 से संबंधित है। IOCl के द्वारा शेष एकरारनामाओं के अन्तर्गत आपूर्ति किये गये बिटुमेन एवं इमल्शन की आपूर्ति को सत्यापित नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि एन०एच०. 80 में एकरारनामा संख्या. 50F2 of 2016-17 से 59F2 of 2016-17 के अन्तर्गत संवेदक के द्वारा समर्पित बिटुमेन एवं इमल्शन के चालानों का सत्यापन किये बिना ही मापी पुस्तिका में फर्जी चालानों के आधार पर अंकित विपत्र के विरूद्ध आंशिक भुगतान कर दिया गया।

(ii) अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, भागलपुर का ज्ञापांक– 620 दिनांक–10.06.2017 द्वारा विभाग को प्रेषित प्रतिवेदन के अंतर्गत अंकित किया गया है कि श्री भगत द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर के मात्र ग्यारह (11) माह के कार्यकाल के दौरान सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं के कार्यक्षेत्र का अनुचित एवं अनाधिकृत रूप से चौथीबार बँटबारा किया गया।

भागलपुर बाईपास की महत्वपूर्ण परियोजना में पदस्थापित सहायक अभियंता श्री अजय कुमार पाण्डेय एवं कनीय अभियंता श्री अविनाश कुमार शर्मा, जिनके द्वारा कार्य काफी अच्छे ढंग से कराया जा रहा था, को बिना उचित कारण के अनाधिकृत रूप से कार्य से हटा दिया गया। श्री भगत के द्वारा निजी स्वार्थवश दूसरे सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता से विपत्र बनवाकर संवेदक को भुगतान करा दिया गया।

(iii) श्री भगत के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर से स्थानांतरण के मात्र 03 (तीन) दिन पूर्व श्री अजय कुमार पाण्डेय, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, भागलपुर, श्री राजवंश सिंह, सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, कहलगाँव एवं संजय मोहन झा, पत्राचार लिपिक के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, भागलपुर से की गयी, जबकि उक्त अभियंताओं/कर्मी के विरूद्ध अपने पदस्थापन के दौरान किसी प्रकार की शिकायत अथवा उनके द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया। अधीक्षण अभियंता द्वारा किये गये जाँच में श्री भगत द्वारा लगाये गये आरोप को निराधार पाते हुये श्री पाण्डेय को आरोप से दोष मुक्त कर दिया गया। उक्त कृत्य श्री भगत के गलत मानसिकता का परिचायक है।

(iv) अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, भागलपुर द्वारा प्रमंडलीय कार्यालय का दिनांक 03.02.2017 एवं दिनांक 04.02.2017 को निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में श्री भगत द्वारा बिटुमिन रजिस्टर, संवेदक के द्वारा समर्पित बिटुमिन के चालान की जाँच नहीं करना, कोर्ट केस के निष्पादन में रूची नहीं लेना एवं उच्चाधिकारियों के पत्रों का जबाव नहीं देना इत्यादि पाया गया।

मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा भी उक्त प्रकरण में अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, भागलपुर के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उक्त मामले में ही पूर्व में श्री भगत के पत्रांक–शून्य दिनांक–11.07.2019 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर की विभागीय समीक्षा की गयी एवं इनके द्वारा रखे गये तर्कों को स्वीकार्य नहीं पाया गया।

2. श्री भगत के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–801 अनु०, दिनांक 01.08.2023 से प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त मूल आरोप एवं अनुपूरक आरोपों के तहत गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया। विभागीय समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति का बिन्दु सृजित करते हुए मूल आरोप पत्र के तहत गठित एक मात्र आरोप, जो फर्जी बिटुमीन चालानों के आधार पर आंशिक रूप से भुगतान किये जाने से संबंधित

है, को विभागीय पत्रांक–4896 (एस) दिनांक 03.10.2024 के द्वारा श्री भगत से लिखित अभिकथन के रूप में द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी। असहमति का सृजित बिन्दु निम्नवत है :–

"आलोच्य कार्य के प्रारंभ करने की तिथि दिनांक 09.02.2017 एवं कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 23.02.2017 थी। श्री भगत संबंधित प्रमंडल में दिनांक 06.04.2017 तक पदस्थापित थे। श्री भगत के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में कार्यपालक अभियंता, रा0उ0 प्रमंडल, भागलपुर के द्वारा संचालन पदाधिकारी के रूप में मुख्य अभियंता, उत्तर को उपलब्ध कराये गये आलोच्य कार्य एवं भुगतान से संबंधित मापीपुस्त के अवलोकन से प्रतीत होता है कि श्री भगत के द्वारा दिनांक 18.03.2017 को ही विपत्र को C/P किया गया है। यदि श्री भगत की मंशा भुगतान के पूर्व संवेदक के बिटुमीन/इमल्शन के चालानों की सत्यापन कराये जाने की होती तो श्री भगत के द्वारा विपत्र को C/P नहीं किया जाता, बल्कि चालान सत्यापन हेतु कार्रवाई किया जाता, जो नहीं किया गया। इसलिए संचालन पदाधिकारी द्वारा यह तर्क दिया जाना कि आरोपी द्वारा समयाभाव के कारण बिटुमीन चालान का सत्यापन नहीं कराया गया–यह तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। आरोपी द्वारा अपने पदस्थापन काल में चालान सत्यापन हेतु एक बार भी IOCL से पत्राचार किये जाने की कार्रवाई नहीं की गयी, इसलिए संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष सहमति योग्य प्रतीत नहीं होता है।"

3. श्री भगत के पत्र दिनांक 18.10.2024 के द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया। श्री भगत से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर के विभागीय समीक्षोपरांत पाया गया कि विभागीय पत्रांक–8320, दिनांक 21.07.2011 की कंडिका–(ii) में उल्लेखित नियम कार्यपालक अभियंता दस्तावेजी प्रमाण–पत्र की शुद्धता की जाँच अपने स्तर से करायेंगे एवं तद्नुसार ही अग्रेतर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, परन्तु ऐसा नहीं किया गया एवं बिटुमीन/इमल्शन चालानों का सत्यापन कराये बिना ही विपत्र की C/P कर दी गयी, जो आरोपित कार्यपालक अभियंता के स्तर से प्रक्रियात्मक चूक को पुष्ट करता है।

4. उपर्युक्त समीक्षा के आधार पर **श्री नागेन्द्र भगत, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत** के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर को इस प्रकार स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। अतएव इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर को अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री भगत को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत **"पेंशन से 02 वर्षो तक 5% की कटौती"** किये जाने संबंधी निर्णित दण्ड पर विभागीय पत्रांक–8428 (एस) दिनांक 10.10.2025 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4420/लो०से०आ०, दिनांक 05.02.2026 के द्वारा उक्त निर्णित दण्ड पर सहमति व्यक्त की गयी है।

5. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत श्री नागेन्द्र भगत, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली 1950 के विहित प्रावधान अन्तर्गत निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया जाता है :–

(क) पेंशन से 02 वर्षो तक 5% की कटौती ।

6 प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–(एन०एच०)–आरोप–71/2020– **पटना, दिनांक.....**

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

18 आई०टी० मैनेजर

ज्ञापांक :– निग/सारा–(एन०एच०)–आरोप–71/2020– पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वि०वै०द०नि०को०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–(एन०एच०)–आरोप–71/2020– पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–(एन०एच०)–आरोप–71/2020– पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई०गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–(एन०एच०)–आरोप–71/2020– पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (कार्य प्रबं०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, मुजफ्फरपुर/ कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर/उप सचिव, मुख्यालय/अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/13/14, एवं 30 (लेखा शाखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं **श्री नागेन्द्र भगत, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता पत्राचार का पता– मो०–301, अम्बालिका कॉम्प्लेक्स, ए०जी० कॉलोनी, पो०+थाना–शास्त्रीनगर, पटना, पिन कोड–800023** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।।

निबंधित

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–(एन०एच०)–आरोप–71/2020– पटना, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग/सारा–(एन०एच०)–आरोप–71/2020– 1599 (S) पटना, दिनांक 19/2/26

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Web-site पर प्रदशित करने हेतु प्रेषित।

18.2.2026

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

18.02.26

D/NIGRANI SECTION/SANJIV KUMAR/ADHISHUCHNA & KARYALAY ADESH